सर्वाधिकारवाद

हन्ना अरेण्ट

अध्ययन सामग्री निर्माण

डा शकील हुसैन

shakeelvns27@gmail.com

विभागाध्यक्ष

राजनीति विज्ञान

शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महिविद्यालय।

दुर्ग , छत्तीसगढ़।

नैक द्वारा A+ मूल्यांकित

1- अवधारणा

2- विशेषताएं

3- सर्वाधिकारवाद पर हन्ना अरेण्ट के विचार

DR. SHAKEEL HUSAIN

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE

अवधारणा

सर्वाधिकारवाद एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में बीसवीं शताब्दी मे विकसित हुआ यद्यपि इसकी विशेषताएं और प्रवृतियां सदैव विद्यमान थी। किंतु इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर के तानाशाही

पूर्ण शासन के उद्भव के पश्चात यह विचार राजनीतिक विमर्श में महत्वपूर्ण हो गया और कालांतर में एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में स्थापित हुआ। **सर्वाधिकार** शब्द का **पहली बार इस्तेमाल स्वयं मुसोलिनी ने किया था** उस का प्रसिद्ध कथन है कि **राज्य के बाहर कुछ नहीं राज्य के ऊपर कुछ नहीं और राज्य के बिना कुछ नहीं। अतः सर्वाधिकारवाद एक सर्वशक्तिमान और निरंकुश राज्य का दर्शन है** मुसोलिनी और हिटलर के नाजी शासन में भी राज्य सर्व शक्तिमान था और हिटलर तथा मुसोलिनी दोनों के तानाशाही और अत्याचारी शासन को सर्वाधिकार वाद का पर्याय माना गया।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत बड़ी संख्या में नए देश स्वतंत्र हुए और विकासशील और अविकसित देशों में जो शासन प्रणाली स्थापित हुई विशेषकर लेटिन अमेरिका अफ्रीका और एशिया में उन देशों में भी शासन प्रणाली में सर्वाधिक आबादी विशेषताएं देखी गई। इसलिए सर्वाधिकारवाद केबल मुसोलिनी और हिटलर से संबंधित नहीं है बल्कि इसका संबंध शक्ति और सत्ता के दुरुपयोग वाली तानाशाही शासन समस्त शासन प्राणियों से है।

विशेषताएं

1- शक्ति का संकेंद्रण

यह सर्वाधिकारवाद की मौलिक विशेषता है। कोई भी शासन सर्वाधिकार वादी हो सकता है यदि उसमें शक्ति को केंद्रित करने वाली प्रणालियों को स्थापित किया गया है। शक्ति और सत्ता इतनी घनीभूत हो जाती है कि एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों से बाहर उसका अस्तित्व ही नहीं होता। प्रायः सैनिक तानाशाही, साम्यवादी तानाशाही और अन्य प्रकार की व्यक्ति या समूह केंद्रित सत्ता प्रणाली को सर्वाधिकार वादी माना जाता है। क्योंकि उसमे शक्ति का संकेंद्रण होता है।

2- शक्ति पृथक्करण का अंत

आधुनिक काल में उदारवादी लोकतंत्र का विकास ही शक्ति पृथक्करण के मौलिक सिद्धांत पर आधारित था। **माण्टेस्क्यू** ने सरकार की शक्तियो को व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित करने का दर्शन दिया और इस संबंध में ब्रिटिश शासन की प्रशंसा भी की। उसके बाद से ही मान लिया गया और व्यवहार से भी यह प्रमाणित हुआ की शक्ति को संतुलित होना चाहिए और शक्ति संतुलित तभी होगी जब उसका विभाजन हो और यह विभाजन एक दूसरे पर नियंत्रण भी रखे।

अमेरिकी संविधान में इसे खूबसूरती से अपनाया गया और उसके बाद के अधिकांश उदारवादी संविधानों में शक्ति पृथक्करण का आदर्श लोकतंत्र के पर्याय के रूप मे स्वीकार किया गया। जबकी सर्वाधिकार वाद शक्ति पृथक्करण के मौलिक सिद्धांत की अवहेलना करता है क्योंकि यह शक्ति के संकेंद्रण पर आधारित है।

DR. SHAKEEL HUSAIN
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE

3- विरोध की अनुपस्थिति

विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकार का विरोध करने का अधिकार लोकतंत्र का आधार माना जाता है । थॉमस हाब्स ने व्यक्ति के जीवन पर आक्रमण की स्थिति में लेवियाथन के प्रति विद्रोह करने का अधिकार दिया । अतः उदारवादी लोकतंत्र विरोध को शासन को नियंत्रित करने के उपाय के रूप में देखता है । लेकिन **सर्वाधिकारवाद में किसी भी प्रकार के विरोध को एक प्रकार की अनुशासनहीनता मानी जाती है । सरकार शासन और सत्ता का विरोध देशद्रोह की श्रेणी में माना जाता है अतः सर्वाधिकारवादी शासन में विरोध के लिए कोई स्थान नहीं होता ।** जितने भी सर्वाधिकार वादी शासन हुए हैं और मैं विरोध को बड़ी निर्ममता के साथ कुचल दिया जाता है और विरोध करने के सभी अवसरों को समाप्त कर दिया जाता है ।

4- स्वतंत्रता अधिकार न्याय आदि की समूह वादी व्याख्या ।

सर्वाधिकारवादी शासन चूंकी राज्य केंद्रित और शक्ति केंद्रित होता है अतः उसमें स्वतंत्रता, अधिकार , न्याय आदि के लिए कोई स्थान नहीं होता । लेकिन सर्वाधिकार वादी शक्तियां जिसकी उपलब्धता का ढोंग करती हैं और उसकी समूह वादी व्याख्या करती है । सर्वाधिकारवाद में समूह के अधिकार और समूह की स्वतंत्रता की बात की जाती है व्यक्ति के अधिकारों स्वतंत्रता की नहीं । चूंकि सबसे बड़ा समूह राज्य है अतः स्वतंत्रता अधिकार और न्याय यह सब राज्य के लिए ही हैं । व्यक्ति का कर्तव्य केवल राज्य की आज्ञा का पालन करना है ।

5- भावनात्मक आदर्शात्मक राजनीति

यह सर्वाधिकारवाद की महत्वपूर्ण विशेषता है । मुसोलिनी हिटलर और उसके बाद के तमाम तानाशाहो ने इतिहास और परंपराओं से महान आदर्शों को निकाल कर जनता के सामने रखा और उन को भ्रमित किया । **महान आदर्शों और भावनात्मक नारों के आधार पर ही शक्ति का संकेंद्रण किया जाता है ।** यह सर्वाधिकारवाद की महत्वपूर्ण ताकत है । इसकी मान्यता है कि राज्य के प्रति विचार करने के लिए बुद्धि की नहीं श्रद्धा की जरूरत होती है । श्रद्धालु राजनीति सर्वाधिकारवाद की एक महत्वपूर्ण ताकत होती है ।

6- छद्म शत्रु का भय

सर्वाधिकार वादी शासन प्रणालियां वास्तव में जनता के सामने एक **छद्म शत्रु या कॉमन एनिमी** को प्रस्तुत करती हैं यह कॉमन एनिमी देश राष्ट्र और समाज का शत्रु बताया जाता है और इस कॉमन एनिमी की समाप्ति और उससे रक्षा के लिए शक्ति को केंद्रित करने का दार्शनिक आधार तैयार किया जाता है । हिटलर ने यही काम यहूदियों को सामने रखकर की किया । यहूदियों के प्रति तत्कालीन जर्मनी के समाज में अंतिम श्रेणी की नफरत पैदा की गयी जिससे कि यहूदियों के प्रति किए जाने वाले अत्याचार के प्रति आम जनता में कोई सहानुभूति ना रहे । अधिकांश तानाशाही व्यवस्थाएं किसी ने किसी प्रकार के छद्म शत्रु का या नकली शत्रु का का प्रस्तुतीकरण करती है । सर्वाधिकारवादी शासन प्राणियों में पूंजीवाद को एक खतरनाक शत्रु के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है और इस नाम पर शक्ति का संकेंद्रण किया जाता रहा है। यहां तक कि उदारवादी लोकतंत्र में भी साम्यवाद के खतरे को दिखा करके तानाशाही पूर्ण शक्तियां लोकतांत्रिक सरकारों ने भी केंद्रित की । इसलिए कामन एनिमी

DR. SHAKEEL HUSAIN
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE

का भय या उसकी मानसिकता शक्ति के संकेंद्रण का प्रधान कारण बनती है जिससे सर्वाधिकार वाद पैदा होता है ।

7- आज्ञा पालक समाज का निर्माण

सर्वाधिक सर्वाधिकार बाद में एक आज्ञाकारी और अनुशासित सामाजिक राजनीतिक समुदाय की अपेक्षा की जाती है । नागरिकों के अधिकार नहीं होते बल्कि केवल कर्तव्य होते हैं उनका अधिकार यही है कि वे राज्य की आज्ञा का पालन करें । **जो वर्ग या समुदाय या व्यक्ति राज्य की आज्ञा का अंधानुकरण नहीं करता उसे देशद्रोही माना जाता है ।** अतः एक आज्ञा पालक सामाजिक और राजनीतिक समुदाय सर्वाधिकार वाद के बने रहने के लिए आवश्यक है । **सोचने समझने प्रश्न करने वाला समाज शासक वर्ग को हमेशा संकट में डाले रहता है आतः सर्वाधिकारवाद आज्ञाकारी समाज की अपेक्षा करता है ।**

8- राज्य और नेतृत्व का महिमामंडन

सर्वाधिकार वादी शासन में नेता अद्भुत आध्यात्मिक और करिश्माई शक्तियों से युक्त माना जाता है ।अतः उसका निरंतर गुणगान किया जाता है । मुसोलिनी और हिटलर ने यही किया था । मुसोलिनी को इंड्यूस और हिटलर को फ्यूहरल कहा जाता था ।
विश्व में जितने भी सर्वाधिकारवादी शासन हुए हैं उनमें नेताओं के प्रति असीम श्रद्धा रखी जाती है । नेता करिश्माई होता है और करिश्माई नेतृत्व राज्य के समतुल्य हो जाता है । सर्वाधिकार वाद में नेता ही दल है दल ही राज्य है और राज्य पूजनीय है सर्वोच्च है ।

9- उग्र राष्ट्रवाद

सर्वाधिकार वादी शासन में राष्ट्रवाद कि उग्रवादी व्याख्या की जाती है राज्य चुकी सर्वशक्तिमान है अतः उसे निरंतर विस्तारवान होना चाहिए । सर्वश्रेष्ठता का विचार प्रचारित किया जाता है । और राज्य की सर्वश्रेष्ठता उसके विस्तार मे ही है । अतः सर्वाधिकारी वादी शासन न केवल राष्ट्रवाद का प्रचार करता है बल्कि विस्तार वादी भी होता है ।

10- धार्मिक सांस्कृतिक जातीय सर्वश्रेष्ठता

DR. SHAKEEL HUSAIN

यह सर्वाधिकार वाद की एक प्रमुख विशेषता है । मुसोलिनी और हिटलर दोनों ने इसका पालन किया । हिटलर ने तो प्रजातीय श्रेष्ठता कि सभी सीमाएं पार कर दीं और यहूदियों के प्रति अमानवीय अत्याचार किए । **अन्य प्रकार के सर्वाधिकार वादी शासकों में भी जातीय सांस्कृतिक धार्मिक सर्वश्रेष्ठता कि भावना प्रसारित की जाती है , जिससे लोग इतिहास संस्कृति और और सभ्यता की सर्वश्रेष्ठता की मिथ्या चेतना के भुलावे में रहते हैं।** अतः यह सभी सर्वाधिकारवादी शासनो की प्रमुख विशेषता है ।

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE

इसमें सबसे महत्वपूर्ण सैद्धांतिक और दार्शनिक योगदान **हन्ना अरेंट** का है । उन्होंने **सर्वाधिकारवाद** नाम से ही एक क्लासिक पुस्तक भी लिखी है बल्कि यह कहना अधिक उचित होगा कि उनकी इसी पुस्तक के बाद सर्वाधिकारवाद एक राजनीतिक सिद्धांत बन गया । हन्ना ने उसकी बड़ी तार्किक और सैद्धांतिक व्याख्या की है जिसका विवरण संक्षेप में निम्नलिखित प्रकार से है -

सर्वाधिकारवाद पर हन्ना के विचार

हन्ना ने The origins of totalitarian नामक अपनी प्रसिद्ध किताब मे इस पर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने सर्वाधिकारवाद को आधुनिक युग अद्भुत और प्रमुख संकट बताया है नाजीवाद फासीवाद और बोल्सेविकवाद इसके प्रमुख रूप है। लेकिन यह किसी भी प्रकार हो सकता है लोकतांत्रिक सरकारे भी सर्वाधिकारवादी हो सकती है ।

हन्ना के अनुसार सर्वाधिकारवाद राजनीतिक आंदोलनो से उत्पन्न होते है । जो वास्तव मे अपने चरित्र में क्रान्तिकारी होने का दावा करते है । अभिजन इसका समर्थन इसलिए करते है। यथास्थिति और स्थापित मूल व्यवस्था को बनाये रखना चाहते है । जबकि भीड़ या सर्वहारा इसका समर्थन इसलिए करते हैं।. क्योंकि उन्हें लगता है कि आंदोलनो और क्रान्ति से व्यवस्था को बदल दिया जायेगा। और वे इस झूठ पर भरोसा कर लेते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि क्रान्तिकारी ताकते मूल्यों के मामले मे पूर्णत: रुढीवादी ही होती है । इसलिए Hannah स्टालिनवाद कीं आलोचना करते हुए लिखती है कि-

" **कट्टर से कट्टर क्रान्तिकारी भी क्रान्ति के तुरन्त बाद कट्टर रूढ़ीवादी हो जाता है** "

हन्ना के विचार में आंदोलन और क्रांतियां केवल सत्ता प्राप्त करने बल्कि सम्पूर्ण सत्ता प्राप्त के साधन होते हैं । क्योंकि निजी और सार्वजनिक जीवन के प्रत्येक पक्ष पर पूर्ण अधिकार जगा लेना चाहते है। तथाकथित क्रान्तिकारी और जन आंदोलन अपने मूल चरित्र मे ही सर्वसत्तावादी होते है । इसलिए हन्ना कहती है की

" क्रान्तिकारी लोग मूलत: ऐसे लोग होते है जिन्हे मालूम है कि सत्ता गलियों में पड़ी हुई है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है।"

हन्ना के अनुसार इस सर्वधिकारवाद के कुछ साधन होते है ।

विचारधारा :-

पुराने व्यवस्था के विरुद्ध व्यवस्था परिवर्तन के लिए विचारधारा स्थापित की जाती है और इसे मुक्ति का मार्ग बताया जाता है जो वास्तव अभिजनो द्वारा शासन किये जाने कि परिवर्तित न्मूल्य व्यवस्था से अधिक कुछ नहीं होता इसलिए शासन का स्वरूप सर्वाधिकारवादी बना रहता है।,

छद्म वैज्ञानिक दृष्टि :-

स्टालिनवाद और बोल्शेविंक वाद की आलोचना करते हुए हन्ना ने कहा कि सर्वधिकार वाद को स्थापित करने के लिए वैज्ञानिक समाजवाद' वैज्ञानिक दृष्टि का सहारा लिया जाता है।

व्यवस्था परिवर्तन :-

DR. SHAKEEL HUSAIN
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE

व्यवस्था परिवर्तन का नारा जन आंदोलन खड़ा करने लिए बेहद जरूरी होता है। विश्व के समस्त सर्वाधिकारवादी शासनों का प्रारंभ इसी नारे से होता है।

अबुद्धिवाद :-

Hannah ने सोरेल एवं नीत्से का उदाहरण देकर यह बताया कि "भावनात्मकता" भक्ति पूजा, नेतृत्व पूजा आदि अबुद्धिवादी तत्व स्थापित किए जाते है जो सर्वाधिकारवाद के लिए आधार का काम करते है ।

आर्थिक विकास एवं प्रगति :-

सर्वाधिकारवादी शासनो विशेष कर हिटलर ने तीव्र आर्थिक विकास द्वारा सर्वाधिकार बाद को सही साबित करने का प्रयास किया। आर्थिक करने का विकास कुछ समय तक अच्छा लगता है लेकिन शीघ्र सामने ही इसकी बुराईया सामने आने लगती है ।

जनहित के नाम पर सत्ता का केन्द्रीयकरण :-

सर्वाधिकारवाद की ये बहुत बड़ी ताकत होती है। क्योंकि जनता व जनहित के नाम पर सत्ता का केन्द्रीयकरण किया जाता है । जबकि वास्तविकता यह है कि धीरे- धीरे जनता की स्वतंत्रता का अपहरण कर लिया जाता है ।

समाहार

इस प्रकार सर्वाधिकारवाद वह राजनीतिक विचारधारा है जो शक्ति के संकेंद्रण के आधार पर राज्य की दमनकारी शक्ति का प्रयोग करती है और व्यक्तियों की स्वतंत्र अधिकार न्याय आज की शक्तियों को निलंबित कर देती है यह नाजीवाद और फासीवाद के समतुल्य है । बीसवीं शताब्दी के के उत्तरार्ध में यह एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में स्थापित हुआ क्योंकि यह एक प्रवृत्ति बन गयी है ।

गृहकार्य

1- सर्वाधिकार की अवधारणा की व्याख्या कीजिए ।

2- सर्वाधिकारवाद के राजनीतिक सिद्धान्त मे हन्ना अरेण्ट के योगदान की समीक्षा कीजिए ।

3- सर्वाधिकारवाद की प्रमुख विशेषताएं बताइए ।

DR. SHAKEEL HUSAIN
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE

संदर्भ

आन लाइन रिसोर्स

https://www.opendemocracy.net/en/countering-radical-right/totalitarianism-twentieth-century-and-beyond/

https://www.thoughtco.com/totalitarianism-definition-and-examples-5083506

Arendt H (1951) : ***origin of totalitarianism*** **penguin London .**

Feed Back link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRpNmu6PZ-AMoLrMvODCDwa6-tG3nPDU_Lk-VyjnKKhmfErw/viewform

DR. SHAKEEL HUSAIN

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE